न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व अपील संख्या – 22/2015 समेकित अपील संख्या –24/2015
तारीख निर्णय – 24.03.2021

अपीलान्ट :–

1. कलाराम पुत्र पेमारामजी उम्र–29 वर्ष जाति–सीरवी चौधरी, निवासी–राजपुरा, तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति जगली पत्नि भीकाराम आयु–74 वर्ष
2. सोनकी पुत्री भीकाराम आयु–52 वर्ष
3. हुली बाई पुत्री भीकाराम आयु–48 वर्ष
   तमाम जाति–सीरवी निवासीगण–राजपुरा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.
4. पवनी पुत्री भीकाराम के कायम मुकाम वारिसान
   4/1 रंगाराम पुत्र पोमाजी उम्र–बालिग जाति–चौधरी निवासी –कोट बालियान तहसील–बाली
5. पुष्पा पुत्री भीकाराम आयु–32 वर्ष
   तमाम जाति–सीरवी निवासीगण–राजपुरा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.
6. ओटाराम पुत्र बाबुलाल आयु–बालिग जाति–चौधरी निासी–राजपुरा तहसील–देसूरी जिला–पाली
7. सरपंच, ग्राम पंचायत, माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज0

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 5.11.2013 जो ग्राम पंचायत, माण्डीगढ द्वारा स्वीकृत किया गया।

समेंकित अपील संख्या :– 24/2015

अपीलान्ट :–

बाबुलाल पुत्र श्री भगाजी उम्र–48 वर्ष, जाति जणवा चौधरी निवासी राजपुरा तहसील–देसूरी जिला पाली

बनाम

रेसपोडेन्ट :–

1. श्रीमति जगली पत्नि भीकाराम आयु–74 वर्ष
2. सोनकी पुत्री भीकाराम आयु–52 वर्ष
3. हुली बाई पुत्री भीकाराम आयु–48 वर्ष
   तमाम जाति–सीरवी निवासीगण–राजपुरा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.
4. पवनी पुत्री भीकाराम के कायम मुकाम वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:19 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4/1 रंगाराम पुत्र पोमाजी उम्र–बालिग जाति–चौधरी निवासी –कोट बालियान तहसील–बाली

5. पुष्पा पुत्री भीकाराम आयु–32 वर्ष
   तमाम जाति–सीरवी निवासीगण–राजपुरा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

6. ओटाराम पुत्र बाबुलाल आयु–बालिग जाति–चौधरी निासी–राजपुरा तहसील–देसूरी जिला–पाली

7. सरपंच, ग्राम पंचायत, माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज0

उपस्थिति–

1– अपीलान्ट की ओर से – वकील भरत जे. राठौड।

2– रेस्पोडेन्ड की ओर से–वकील दिनेश कुमार माली।

–: निर्णय :– **दिनांक– 24.03.2021**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मॉगीलाल पुत्र भीकाजी जाति–सीरवी निवासी–राजपुरा का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2012 को हो गया है व उनके जीवनकाल में स्वर्गीय मॉगीलाल की खातेदारी भूमि सरहद राजपुरा तहसील–देसूरी में खसरा नम्बर 329 रकबा 0.78 हैक्टर में से स्व. मॉगीलाल ने अपने हिस्से की भूमि में से अपीलान्ट को खसरा नम्बर 329 का रकबा 0.033444 हैक्टर का बेचान किया व उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा स्व. मांगीलाल का तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ड संख्या 1 जगली का आता है तथा ग्राम पंचायत माण्डीगढ द्वारा दिनांक 16.12.2012 को मॉगीलाल की मृत्यु के आधार पर खसरा नम्बर 329 रकबा 0.78 हैक्टर में स्व0 मॉगीलाल का जो हिस्सा था उसके स्थान पर ग्राम पंचायत का मृत्यु वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ड संख्या 1 जगली के नाम दर्ज किया गया है जबकि स्व. मॉगीलाल ने अपने जीवन में दिनांक 01.06. 2012 को ही खसरा नम्बर 329 का रकबा 0.78 हैक्टर में विद्यमान 1/2 हिस्से में से 0. 33444 हैक्टर का बेचान कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 ग्राम पंचायत माण्डीगढ द्वारा गलत रूपेण खोला गया जबकि अपीलान्ट स्व. मॉगीलाल के जरिये रजिस्टर्ड बेचानमाना दिनांक 01.06.2012 को खरीद किया है जिससे नामान्तकरण संख्या 532 व 539 गलत खोले जाने से उक्त नामान्तकरण संख्या 532 व 539 विधिक रूप से शून्य है व श्रीमति जगली रेस्पोडेन्ड संख्या 1 के गलत रूप से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 के आधार अपना सम्पूर्ण हिस्सा होना बता कर दिनांक 03.09.2013 को जरिये बख्शीशनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगाय 5 के नाम कर दिया बख्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायें 5 के हक में खोला गया जो दोनो ही

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:19 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण विधिक रूप से शून्य होने के बावजूद ही बिना जॉच पडताल के ही नामान्तरकरण खोले जाने से अपीलान्ट दोनो नामान्तरकरण को इस अपील के जरिये निम्न आधारो व वजुआतो पर पर न्यायालय के समक्ष चुनौती देता है–

1. ग्राम पंचायत माण्डीगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 के जरिये स्व मॉगीलाल का पुरा हिस्सा अपने नाम से जगली के नाम किये जाने से कानूनी एवम विविध भूल की है। जिससे अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकृति के हैं।

2. मॉगीलाल ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट कलाराम को 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 329 में से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 01.06.2012 के रकबा 0.03344 [illegible]टर आराजी को बेचान कर दिया था जिससे उक्त हिस्सा स्व. मॉगीलाल के रहा ही नही था. मॉगीलाल का पूरा हिस्सा जगली के नाम किये जाने से विधिक भूल एवम त्रुटि की है जिससे अपीलान्ट काबिल स्वीकृति के है।

3. स्व मॉगीलाल की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र के उत्तराधिकारी में एकमात्र जगली माता को वारिस बताकर नामान्तरकरण खोला गया है जबकि मॉगीलाल द्वारा बेचे गये हिस्सा अपीलान्ट के अलावा शेष जो हिस्सा बचता है उक्त हिस्सा का ही विरासत में खोला जाना चाहिए था जो न खोला जाकर सम्पूर्ण हिस्सा विरासत खोलें जाने में विधिक एवम् तथ्यात्मक भूल की है जिससे भी अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकृति के है।

4. ग्राम पंचायत माण्डीगढ ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर स्व. मॉगीलाल के वारिसान में उनकी माता एकमात्र जगली होना बताया लेकिन मॉगीलाल स्वयं ने अपने जीवानकाल में दिनांक 01.06.2012 को खसरा नम्बर 329 रकबा 0.78 हैक्टर में से 0.033444 रकबा का बेचान कर दिया था व जब स्व. मॉगीलाल 0.033444 रकबा का मालिक ही नही था तो जगली के नाम पुरे रकबे का नामान्तरकरण फौतेदगी का गलत खोला गया है व उक्त फौतेदगी के आधार पर बख्शीशनामा पूरी आराजी का गलत खोला गया जिसमें भी अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकृति के है।

[illegible] यह है कि दिनांक 21.05.2015 को राज्य स्तर पर राजस्व केम्प का आयोजन ग्राम पंचायत माण्डीगढ के लिए रखा गया जहॉ पर अपीलान्ट द्वारा प्रसतुत राजस्व वाद संख्या [illegible]/2013 व 76/2013 कलाराम बनाम जगली व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधिनियम का भी रखा गया। जहॉ पर राजस्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 गलत [illegible] जानकारी देने का बताया गया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.05.2015 को तहसील कार्यालय देसूरी में आवेदन पत्र पेश किया जो आवेदन पत्र की चाही गई [illegible] 2015 को प्राप्त हुई जिससे अपीलान्ट की ओर से यह अपील बिना किसी देरीना अन्दर [illegible] अवधिकाल पेश है।

पेज लगातार 04 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अत: अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा स्व. मॉगीलाल के जीवनकाल में अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई राजस्व भूमि सरहद मौजा माण्डीगढ तहसील-देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर 329 रकबा 0.033444 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ड संख्या 1, 2, 4 की ओर से वकील दिनेश कुमार माली ने वकालत नामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ड संख्या 6 की ओर से वकील जगतसिंह राजावत ने वकालत नामा पेश किया।

वकील रेस्पोडेन्ड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 भू-राजस्व अधिनियम दिनांक 09.03.2016 को पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 16.03.2016 को किया जाकर न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये कि अपीलान्ट कलाराम द्वारा अपील संख्या 24/2015 इन्ही नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध पेश की गई हैं दोनो अपील समान आदेशों के विरूद्ध होने से दोनो अपीलो को समेकित किया जाकर दोनो अपीलो की एक साथ सुनवाई किये जाना न्यायोचित है। चूंकि प्रथम अपील कलाराम बनाम जगली अपील संख्या 24/2015 बाबुलाल बनाम जगली के एक साथ समेकित किया जाकर साथ साथ सुनवाई के आदेश दिये जाते है। जो सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है-

"अपील संख्या 24/2015 बाबुलाल बनाम जगली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 जो ग्राम पंचायत, माण्डीगढ द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध पेश कर निवेदन किया है कि मॉगीलाल पुत्र भीकाजी जाति-सीरवी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि सरहद ग्राम राजपुरा तहसील-देसूरी में खसरा नम्बर 329 व 328 कमश रकबा 0.78 हैक्टर व रकबा 0.52 हैक्टर कुल रकबा 1.30 हैक्टर भूमि में स्व. मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था जिसमें से 1/10 हिस्सा स्व. मांगीलाल द्वारा दिनांक 22.03.2011 को बेचान कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 ग्राम पंचायत माण्डीगढ द्वारा गलत रूपेण खोला जाकर [illegible] जगली रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ने गलत रूप से भरे गये। नामान्तरकरण संख्या 532 व 539 के आधार पर अपना सम्पूर्ण हिस्सा होना बताकर दिनांक 03.09.2013 को जरिये बख्शीशनामा के रेस्पोडेन्ट सख्या 2 [illegible] किया। अत: अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा स्व. मॉगीलाल के जीवनकाल मे अपीलान्ट द्वारा खरीद की

पेज लगातार 05 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:19 IST
Reason: SelfAttested

गई राजस्व भूमि सरहद मौजा माण्डीगढ तहसील-देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर 329 व 328 कुल रकबा 1.30 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।"

तदपश्चात वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 56ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत् दिनांक 20.04.2016 को पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 27.04.2016 को किया जाकर आदेश दिये गये कि अपीलाधीन बजरिये विधिक अन्तरण रजिस्टर्ड विकय विलेखो के मृत मांगीलाल के जीवनकाल में उसके खातेदारी हिस्से में से भूमि के केता है एवम् मांगीलाल की मृत्यु पर अपीलान्ट के कय सुदा हिस्से सहित पुरा हिस्से का दर्ज कर दिया है जिससे स्पष्टतया अपीलान्ट के हक अधिकार प्रभावित होता है जिससे न्यायालय की राय में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है जिन्हे अपीले प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है एवम् जहा तक लिमिटेशन का प्रभाव है वो रेगुलर दावो के विडोल की तिथि से 30 दिन के अन्दर अन्दर पेश हुई है जिससे कालबाधित नही होकर अन्दर म्याद है एवम् इस संबंध में अपीलो के गुणावगुण निर्णय के समय विस्तुत विवेचन एवम् निर्णय किया जा सकेगा। उपरोक्त विवेचन मे मेरी राय में अपीलान्ट की ये दोनो अपीले जो समेकित हुई है कानूनन पोषणीय है व इनका गुणावगुण पर मेरिट पर निर्णय किया जाना न्याय संगत है ताकि पक्षकारो को न्याय प्राप्त हो सके।

वकील रे द्वारा जबाव पेश नही करने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया। तथा पत्रावली वास्ते बहस में निहित की गई। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 15.01.2019 को पारित किया जाकर आदेश दिये गये कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश को आक्षेपित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नही होती है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

जिसके बाद पत्रावली में पुन बहस में नियत की गई। रेस्पोडेन्ड संख्या 4 की फौत होने से वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में पेश किया गया। जिसको स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ड संख्या 4 के कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लेने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ड संख्या 4 की से वकील दिनेश कुमार माली ने वकालत नामा पेश किया गया। पत्रावली बहस में नियत की गई।

वकुलाय दोनो पत्रावली में सामूहिक रूप से सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील के तथ्य को दोहराते हुए व्यक्त किया कि मॉगीलाल पुत्र भीकाजी जाति-सिरवी का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2012 को हुआ। उनके जीवनकाल में स्वर्गीय मॉगीलाल ने अपनी खातेदारी भूमि में से अपीलान्ट कलाराम को 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 329 मे

पेज लगातार 06 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 01.06.2012 के रकबा 0.033444 हैक्टर का बेचान किया तथा अपीलान्ट बाबुलाल को 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 329, 328 कुल रकबा 1.30 हेक्टर में स्थित 1/2 हिस्से में से 1/10 हिस्सा दिनांक 22.03.2011 को बेचान कर दिया था। मॉगीलाल की फौत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र के उत्तराधिकारी में एकमात्र जगली माता को वारिस बताकर नामान्तरकरण खोला गया है

जबकि मॉगीलाल द्वारा बेचे गये हिस्सा अपीलान्ट के अलावा शेष जो हिस्सा बचता है उक्त हिस्सा ही विरासत में खोला जाना चाहिए था जो न खोला जाकर सम्पूर्ण हिस्सा विरासत खोले जाने में विधिक भूल की है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा स्वर्गीय मॉगीलाल के जीवनकाल में अपीलान्ट कलाराम व बाबुलाल द्वारा खरीद की गई भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस कर निवेदन किया कि अपीलान्ट निम्न आधारो पर खारिज योग्य है–

यह है कि अपीलान्ट नामान्तरकरण आदेश में पक्षकार नही है इसलिए अपीलान्ट तृतीय पक्षकार होने से से अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय से अपील पेश करने के लिए अपील पेश करने हेतु अनुमति लिये बिना ही अपील पेश की है जो परिपोषणिय नही होने से खारीज योग्य है। जिसके समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 1993 आर आर डी पेज 44, 232
2. 1994 आर आर डी पेज 341
3. 2012(2) आर आर टी पेज 1299

यह है कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सुंख्या 532 दिनांक 20.06.2013, नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की गई। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण द्वारा उक्त नामान्तरकरण और आराजी के संबंध में विचाराधीन रहे नियमित वाद की पत्रावलीयो कलाराम बनाम जगली वाद संख्या 117/2013 एवम् विविध संख्या 76/2013 तथा बाबुलाल बनाम जगली वाद संख्या 118/2013 एवम् विविध संख्या 77/2013 का निस्तारण दिनांक 21.05.2015 को किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट को किसी भी प्रकार के हक निहित नही होना स्वीकार करते हुए वादों को खारिज किया जा चुका है। अर्थात अपीलान्ट को वादग्रस्त

पेज लगातार 07 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

आराजी का खातेदार घोषित नही किया गया है। ना ही नामान्तरकरण अपील पेश करने का लिये कोई आदेश ही दिया गया है। जिसके समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. मरूधर कंवर बनाम राजस्व मंडल 2015(2) सीसीसी पेज 403
2. सुजानाराम बनात ताराराम 2010(1) आर एल डब्ल्यू आर जे पेज 415

जिसके पश्चात् अपीलान्ट ने मुख्य तथ्य को छुपाते हुए अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 6 में कथन किया है कि दिनांक 22.05.2015 को नकल आवेदन पेश करने पर दिनांक 25.05.2015 को नकलें प्राप्त होने पर अपीलें पेश की है, इस प्रकार अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व वाद से ही होने के कारण अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है। जिसके समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. आर आर टी 2019(2) पेज 680

यह है कि अपीलान्ट ने म्यूटेशन अपील के जरिये स्वयं को खातेदार घोषित कराने की मंशा व्यक्त करते हुए अपील पेश की है जिसमें खातेदारी घोषणा के संबंध में कोई हक अधिकार अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित आराजी भीका पुत्र तलाजी की थी जिसके निर्वसीयती स्वर्गवास होने पर उनके वैध उत्तराधिकारी पत्नी जगली, पुत्र मांगीलाल और पुत्रियॉ सोनकी, हुली, पवनी, पुष्पा, मनीया को बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदारी हक अधिकार निहित हुए थे, मांगीलाल के अपीलान्ट के पक्ष में बेचान के कोई हक अधिकार नही होने और मौके पर कोई कब्जा नही देने तथा अपीलान्ट के पास मात्र कागाजी दस्तावेज होने की अपीलान्ट स्वंय को भी पूर्ण जानकारी होने से अपीलान्ट ने अपने विक्रय विलेखो के जरिये नामान्तरकरण दर्ज कराने का प्रयास नही किया और बाद जानकारी के अपीलान्ट ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी खातेदारी घोषणा के नियमित वादो को खारीज करवाये गये है।

यह है कि अपील मे जबाव पेश करने के प्रावधान नही है मात्र अपीलान्ट की अपील में लिये गये आधारो को अधिनस्थ न्यायालय ने किस प्रकार विविध व तथ्य की भूल की है उसको देखना होता है इसलिए अपील में जबाव पेश नही किया गया था। कानून में भी अपील का जबाव पेश करने के लिए कोई प्रावधान नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपीलें खारीज करने का आदेश प्रदान करावे।

दोनो पक्षों के अभिवक्ताओ की बहस पर [illegible] गया एवम् पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली [illegible] से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत माण्डीगढ ने स्व. मॉगीलाल के [illegible] के नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013, नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 खोले गये। जिसमें वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगली का नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट बाबुलाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:19 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार 08 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

कलाराम ने स्व मॉगीलाल से खरीद करने से उक्त नामान्तकरणो के विरूद्ध अपील पेश की है। अतः प्रकरण में निर्णय किये जाने हेतु न्यायालय निम्न प्रश्नों के द्वारा निर्णय किया जाना उचित समझता है अतः निम्नानुसार है–

1. क्या अपीलान्ट को अपील पेश करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था।
2. क्या अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद है।
3. क्या अपील स्वीकार योग्य है।

अतः निर्णय प्रश्नो के निम्न अनुसार है:–

1. क्या अपीलान्ट को अपील पेश करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था–

अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 एवम् नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 के विरूद्ध पेश की है। दोनो ही नामान्तरकरण खातेदार मॉगीलाल पुत्र भीकाजी के स्वर्गवास इनके वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तकरण खोला गया है। जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नही है और ना ही अपीलान्ट मॉगीलाल का वारिस है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट बाबुलाल और कलाराम किसी प्रकार से पक्षकार नही होकर तृतीय पक्षकार है। तृतीय पक्षकार को आदेश से प्रभावित होना नही कहा जा सकता है। इसलिए अपीलान्ट को धारा–96 सीपीसी के अन्तर्गत अनुमति अपील पेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त *1993 आरआरडी पेज नम्बर 44, 232 तथा 2012(2) आर आर टी पेज नम्बर 1299* मे माननीय न्यायालय राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड द्वारा व्यक्त किया है कि जो पक्षकार किसी आदेश में पक्षकार नही है उसे बिना न्यायालय के अनुमति के अपील पेश करने का अधिकार प्राप्त नही होता है। इस प्रकार तृतीय पक्षकार को अपील कानून परिपोषणीय नही है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह स्वीकार किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश मॉगीलाल के विरासत से सम्बन्धित है। अपीलान्ट मॉगीलाल के वारिसान नही है और अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने के लिए अनुमति बाबत् किसी प्रकार का निवेदन नही किया है। इसलिए न्यायालय की राय में अपीलान्ट की अपील परिपोषणीय नही हैं।

2. क्या अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद है–

जिस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने अपील में पैरा संख्या 6 ने व्यक्त किया कि दिनांक 21.05.2015 को राज्य स्तर पर राज[illegible] का आयोजन ग्राम पंचायत माण्डीगढ के लिए रखा गया जहॉ [illegible] 117/2013 एवम् विविध संख्या 76/2013 तथा वाद संख्या [illegible]/2013 एवम् विविध संख्या 77/2013 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम का भी रखा गया, जहॉ पर राजस्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामान्तरकरण संख्या 532 व 539

पेज लगातार 09 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

गलत खोला गया है जिसको चुनौति देने का बताया गया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.05.2015 को तहसील कार्यालय देसूरी में आवेदन पत्र पेश किया जो आवेदन पत्र की नकल चाही गई, नामान्तरकरण की नकले 26.05.2015 को प्राप्त हुई जिससे अपीलान्ट की ओर से यह अपील बिना किसी देरीना अन्दर अवधिकाल पेश है। जिस संबंध में पत्रावली व अपीलान्ट द्वारा नियमित वाद का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि राजस्व वाद संख्या 117/2013 एवम् विविध संख्या 76/2013 तथा वाद संख्या 118/2013 एवम् विविध संख्या 77/2013 के वादी के वाद में पैरा संख्या 10 और जबावदावों में पूर्ण रूप से मॉगीलाल के मृत्यु होने के पश्चात् उक्त नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.062013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 05.11.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगली के नाम खोले गये। जिसके विरूद्ध ही वादी द्वारा खातेदारी घोषित करने हेतु उक्त वादों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अतः अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी थी। जिससे बाबजूद भी अपीलान्टों द्वारा उक्त अपीले 02.06.2015 को पेश की गई। जबकि नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आदेश की जानकारी होने या आदेश की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अन्दर अपील पेश की जानी थी। उक्त अवधि के बाद यदि कोई अपील पेश की जाती है तो अपीलान्ट को धारा-5 लिमिटेशन एक्ट के तहत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है ना ही न्यायालय के समक्ष देरी माफी कोई स्पष्ट कथन पेश किया है। न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश दिनांक 27.04.2016 में रेस्पोडेन्ट द्वारा लिये गये म्याद के बिन्दु को अन्तिम स्तर पर निस्तारण करने के आदेश दिया गया था, जिससे अपील अन्दर म्याद में होने बाबत् इस प्रश्न का न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के साथ निस्तारित किया जा रहा है। अपीलान्ट ने अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरणों की जानकारी वाद को पेश करने से पूर्व ही होने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा पूर्व वाद में लिये गये अभिवचनों को छुपाते हुए अपील को म्याद में लेने के लिए अभिवचन लिये है जो कानूनन मानने योग्य नही है। जिस संबंध न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019(2) पेज 680 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने कहॉ है कि "म्याद में लाने के लिए चतुराई से लिये गये तर्क स्वीकार नही किये जा सकते है। अपील को म्याद बाहर होना माना गया है।" अतः न्यायालय के राय में अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से पोषणीय नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:19 IST
Reason: SelfAttested

3. क्या अपील स्वीकार योग्य है-

अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा प्रथम [illegible] है। अपील अपीलान्ट तृतीय पक्षकार है तथा अपील म्याद बाहर होने [illegible] पोषणीय नही हैं अपीलान्ट स्वयं द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद पेश करने पर ज[illegible] विड्रो दिनांक 21.05.2015 को खारिज करवाया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई अपील पेश नही की है।

पेज लगातार 10 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपीलान्ट द्वारा दावा खारिज करवाने होने व नामान्तरकरण आदेश की जानकारी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व जानकारी होने तथा किसी प्रकार से हक अधिकारो का निर्धारण नामान्तरकरण की अपीलो में किया जाना सम्भव नही होने से अपीलान्ट की अपील उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय के मत में परिपोषणीय नही होने खारिज योग्य है।

उपरोक्तानुसार तीनो प्रश्नो का विनिश्चय व निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध मे किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय की राय मे अपीलान्ट की अपील नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956 के तहत् नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.06.2013 व नामान्तरकरण संख्या 539 दिनांक 5.11.2013 जो ग्राम पंचायत, माण्डीगढ द्वारा स्वीकृत किया है जिसके विरूद्ध पेश की गई है ,जो सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है –

–: आदेश :–

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956 को सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:19 IST
Reason: SelfAttested